

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल-23/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० ज्योत्सना, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसूति रोग), पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना द्वारा द्वितीय संतान के देखभाल हेतु दिनांक-01.12.2024 से 15.05.2025 तक कुल-166 (एक सौ छियासठ) दिनों का उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-518(25), दिनांक-10.03.2025 द्वारा निर्गत शिशु देखभाल अवकाश आदेयता के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात् डा० ज्योत्सना के पक्ष में 223 (दो सौ तेईस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-23/2025-

1631(2) पटना, दिनांक : 18/7/26

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० ज्योत्सना, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसूति रोग), पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशाखा-3, 9ए, 9बी एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

W. K. 18/7/26
सरकार के उप सचिव।

R